न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/ आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 531 स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 05.01.2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 223/734, 224 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 हैक्टर तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अपीलान्ट के नाम वर्तमान में दर्ज हिस्सा 169/600 के स्थान पर 7400/17400 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सतवीर सिंह के वर्तमान में दर्ज हिस्सा 184/725 के स्थान पर 3090/17400 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 बिहारीलाल के वर्तमान में दर्ज हिस्सा 281/1392 के स्थान पर 187/1392 दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दुरूस्ती की कार्यवाही करें। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2019	2019/227	28.08.2019	05.02.2024

उनवान प्रकरण

किरण कंवर पत्नि ओमसिंह आयु 54 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

–अपीलान्ट––

बनाम्

1. सरपंच ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. सतवीरसिंह लोरा पुत्र श्री भगवानसहाय लोरा आयु 33 वर्ष जाति जाट निवासी सिरसा तहसील चौमू जिला जयपुर
3. बिहारीलाल शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा आयु 44 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 16 श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. पटवारी, पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर
5. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––रेस्पोडेन्ट्स––

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 अपीलान्ट अभिभाषक।

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अभिभाषक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
(श्रीमाधोपुर नीमकाथाना)

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 531 दिनांक 05.01.2016 द्वारा ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 223/734, खसरा नम्बर 224 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 हैक्टर ग्राम नांगल (भीम) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। अपील में वर्णित भूमि दिनांक 29.04.2015 विक्रय लेख अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 0.1275 हैक्टर व दिनांक 12.08.2015 को 0.1325 हैक्टर व दिनांक 14.06.2018 को हिस्सा 37/87 के 491/7400 भूमि का बेचान किया गया हैं इस प्रकार अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक में कुल 0.1275 + 0.1325 + 0.491 कुल 3091 वर्गमीटर भूमि का ही बेचान किया गया हैं इसी प्रकार अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 को दिनांक 29.04.2015 को 0.11625 हैक्टर व दिनांक 12.08.2015 को 0.1175 हैक्टर इस प्रकार 0.11625 + 0.11750 कुल 0.23375 हैक्टर भूमि का बेचान जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेखो द्वारा किया गया हैं। अपीलार्थीया द्वारा अपील में वर्णित भूमि मे से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कुल 3091/174000 हिस्से की भूमि को बेचान तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को कुल 23375/174000 हिस्से की भूमि का बेचान किया गया हैं परन्तु पटवारी हल्का द्वारा कतई मनमाने तरीके से विक्रय लेखो की हिस्सा कस्सी करते समय अपीलार्थीया द्वारा बेची गयी भूमि दिनांक 29.4.2015 को 0.1275 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को व 0.1175 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 को बेची गयी हैं परन्तु नामान्तकरण भरते समय 1325/6200 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम एंव 1175/6200 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के नाम इसी दर हिस्सा 62/87 दर्ज किये जाने अपीलार्थीया द्वारा बेची गयी भूमि से अधिक दोगूनी भूमि का खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के हक में जरिए नामान्तकरण संख्या 531 भरा जाकर कतई गलत तरीके से गिरदावर हल्का द्वारा बिना कोई जांच किये ही नामान्तकरण की जांच की गयी है तथा सरपंच ग्राम पंचायत हांसपुर द्वारा भी पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही कतई गलत व अवैध रूप से व रजिस्टर्ड दस्तावेजात विक्रय लेख दिनांक 29.4.2015 के प्रतिकूल नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जो कतई गलत विधि विरूद्व हैं जो केवल मात्र अपीलार्थीया की भूमि हड़प कर जाने की मंशा से नामान्तकरण भरा जाकर बाला–बाला व गुपचुप में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया हैं। जो विधि विरूद्व होने से अपीलार्थीया द्वारा अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 531 दिनांक 05.01.2016 जो सरंपच, ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा स्वीकृत को निरस्त किया जाकर मुताबिक समस्त विक्रय लेखो के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 के 3091/174000 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के 23375/ 174000 व अपीलार्थीया के 7401/174000 हिस्से की खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन अपीलान्ट द्वारा अपने अपील नामान्तकरण में की गई है।

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में उप पंजीयक श्रीमाधोपुर व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। वकील अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 [illegible] धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसे वकील रेस्पोडेण्टस की [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर संशोधित अपील पेश करने बावत अपीलान्ट को स्वीकृति दी गई। जिस पर अपीलान्ट द्वारा संशोधित अपील नामान्तकरण पेश की गई। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत संशोधित अपील पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित में अपीलान्ट के पक्ष में राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली संलग्न किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेण्टस संख्या 1, 4 लगायत 6 की तामील पूर्व में असालतन होकर आने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1, 4 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस संख्या 2 व 3 के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने से आज ही बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेण्टस द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नामान्तकरण संख्या 531, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 29.04.2015, 30.04.2015, 12.08.2015, 14.06.2018, ग्राम पंचायत हांसापुर के पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर, ग्राम पंचायत हांसापुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 20.10.2020, राजीनामा दिनांकित 19.12.2023 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 223/734, 224 कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 हैक्टर तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर का बैचान अपीलान्ट के द्वारा विभिन्न रजिस्टर्ड विक्रय लेखों के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के प[illegible] विक्रय लेखों की फोटो प्रतियों से प्रकट होता है। उक्त वि[illegible] की गई भूमियों की खातेदारी का नामान्तकरण भरते समय बैचान की [illegible]ई भूमियों से अधिक भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

खाता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3 के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 531 के द्वारा गलत रूप से भरा जाकर तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। जिसके आधार पर अपीलार्थीया /अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड खातेदारी में हिस्सा गलत दर्ज होकर कम होना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण संख्या 531 दिनांकित 05.01.2016 ग्राम पंचायत हांसपुर को निरस्त किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण भरा जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत हांसपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 531 स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 05.01.2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 223/734, 224 कुल किता 2 कुल रकबा [illegible] हैक्टर स्थित ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अपीलान्ट के [illegible] दर्ज हिस्सा 169/600 के स्थान पर 7400/17400 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 [illegible] वीर सिंह के वर्तमान में दर्ज हिस्सा 184/725 के स्थान पर 3090/17400 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 बिहारीलाल के

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में दर्ज हिस्सा 281/1392 के स्थान पर 187/1392 दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दुरूस्त करने की कार्यवाही करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested